



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को **14 वर्ष के कठोर कारावास व ₹15,000 के अर्थदण्ड** की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे **ऑपरेशन कन्विकशन अभियान** के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना राठ में पंजीकृत मु०अ०सं० 1729/2015 धारा- 452,376(झ) भा०द०सं० व 6 पॉक्सो एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में **मा० न्यायालय पॉक्सो कोर्ट जनपद हमीरपुर** द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त **कल्लू उर्फ लाल सिंह पुत्र कुंवरलाल राजपूत** निवासी मुहल्ला गायत्रीनगर पठानपुरा कस्बा व थाना राठ जनपद हमीरपुर को **14 वर्ष के कठोर कारावास व ₹15,000/-** के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



ADGC
श्री अवधनरेश चन्देल



विवेचक
निरी० श्री जगदेव
प्रसाद



पैरोकार थाना राठ
का० प्रदीप भार्गव